



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 220-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021 (PAUSA 10, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4), की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए.आर., दिनांक 15 फरवरी, 2016 की अनुसूची की क्रम संख्या 328 से 331 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग की निम्नलिखित सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग	स्वदेशी पशुओं के संरक्षण तथा विकास और मुराह विकास के लिए योजना	30 दिन	सम्बन्धित जिला के उप-मण्डल अधिकारी, पशुपालन तथा डेयरिंग	सम्बन्धित जिला के उप निदेशक, पशुपालन तथा डेयरी/सघन पशुधन विकास परियोजना	साख योजना अधिकारी, निदेशालय''
2	पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग	''हाई टैक डेयरी इकाई स्थापना हेतु योजना'' के अधीन ऋण राशि की स्वीकृति हेतु आवेदनों को बैंक में भेजना	30 दिन	सम्बन्धित जिला के उप-मण्डल अधिकारी, पशुपालन तथा डेयरिंग	सम्बन्धित जिला के उप निदेशक, पशुपालन तथा डेयरी/सघन पशुधन विकास परियोजना	साख योजना अधिकारी, निदेशालय''

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
3	पशुपालन तथा डेयरींग विभाग	“अनुसूचित जाति के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करने हेतु” योजना के अधीन ऋण राशि की स्वीकृति हेतु आवेदनों को बैंक में भेजना	30 दिन	सम्बन्धित ज़िला के उप-मण्डल अधिकारी, पशुपालन तथा डेयरींग	सम्बन्धित ज़िला के उप निदेशक, पशुपालन तथा डेयरी/सघन पशुधन विकास परियोजना	साख योजना अधिकारी, निदेशालय”

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 31st December, 2021

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014) and in supersession of serial numbers 328 to 331 and entries thereagainst of the Schedule to the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby notifies the following services, the time limit within, which these are to be provided to citizens, and the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of Animal Husbandry and Dairying Department under the said Act as specified in Schedule given below, namely:-

Schedule

Serial Number	Name of the Department	Name of service	Given time limit	Designated officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Animal Husbandry and Dairying	Scheme for conservation and Development of Indigenous Cattle and Murrah Development	30 days	Sub-Divisional Officer, Animal Husbandry and Dairying	Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying/ Intensive Cattle Development Project	Credit Planning Officer at Directorate
2	Animal Husbandry and Dairying	Forwarding of application to bank for sanction of loan amount under “Scheme for establishment of Hi Tech Dairy Units”	30 days	Sub-Divisional Officer, Animal Husbandry and Dairying	Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying/ Intensive Cattle Development Project	Credit Planning Officer at Directorate
3	Animal Husbandry and Dairying	Forwarding of applications to bank for sanction of loan amount under “Scheme for providing employment opportunities for Scheduled Castes ”	30 days	Sub-Divisional Officer, Animal Husbandry and Dairying	Deputy Director, Animal Husbandry and Dairying/ Intensive Cattle Development Project	Credit Planning Officer at Directorate

SANJEEV KAUSHAL,
Chief Secretary to Government Haryana.